नासिक और रायगढ़ के लिए

महाराष्ट्र सरकार ने लगाई प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

महाराष्ट्र में जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा के एक दिन बाद ही नासिक और रायगढ़ जिलों के लिए नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे महायुति सरकार में मतभेद जैसे हालात नजर आ रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

राज्य सरकार ने शनिवार को 36 जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की घोषणा की। इस घोषणा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की अदिति तटकरे को रायगढ़ और भाजपा नेता गिरीश महाजन को नासिक की जिम्मेदारी सौंपी गई। पिछले महीने भाजपा-राकांपा-शिवसेना की नयी सरकार के गठन के बाद से ही प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था।

राज्य में निवेश आकर्षित करने के मकसद से विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए दावोस में मौजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप के बाद उनके अधीन आने वाले सामान्य प्रशासन विभाग ने अगले आदेश तक दोनों जिलों में नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। जिला प्रभारी मंत्रियों के पास उनके क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन वितरित करने की जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, धन वितरण पर इस तरह के नियंत्रण का इस्तेमाल जिलों में राजनीतिक विरोधियों को घेरने के लिए भी किया जाता है।

रायगढ़ में तटकरे को जिला संरक्षक मंत्री का पद सौंपे जाने से शिवसेना नेता और राज्य मंत्री भरत गोगावले नाराज हैं। राज्य मंत्री इसी जिले के हैं, जहां नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ बड़ी संख्या में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य हो रहा है। गोगावले ने पहले कहा था कि वह रायगढ़ के संरक्षक मंत्री बनने के इच्छुक हैं। जबकि नासिक से शिवसेना नेता और मंत्री दादा भुसे भी अपने गृह जिले का संरक्षक मंत्री बनने की इच्छा रखते थे। हालांकि, यह पद मुख्यमंत्री फडणवीस के करीबी विश्वासपात्र महाजन को सौंपा गया।

मंत्रियों की नियुक्ति के तरीके से चलता है गठबंधन में आंतरिक कलह का पता : राउत

मुंबई, 20 जनवरी (भाषा)।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सोमवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ 'महायुति' सरकार के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का तरीका गठबंधन में आंतरिक कलह का संकेत है। राज्य सरकार ने शनिवार को राज्य के 36 जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा की, लेकिन एक दिन बाद नासिक और रायगढ़ के लिए नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता गिरीश महाजन को नासिक की जिम्मेदारी दी गई थी। राउत ने पत्रकारों से कहा कि सरकार अपने अंदरूनी विवादों से निपटने में विफल रही है। (उपमुख्यमंत्री) एकनाथ शिंदे का प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर गुस्सा स्पष्ट है। शिवसेना (यूबीटी) नेता रायगढ़ और नासिक में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर एकनाथ शिंदे के असंतोष की खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य के उद्योग मंत्री एवं शिवसेना नेता उदय सामंत को शिंदे की जगह संभावित नेता के रूप में तैयार किया जा सकता है।

'एम्स के बाहर मानवीय संकट को लेकर तत्काल कदम उठाए जाएं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए सुविधाओं के अभाव को लेकर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस 'मानवीय संकट' को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने देशभर से दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, पिछले दिनों मैंने देखा कि ठिठुरती ठंड में लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं। मैंने हाल में एम्स के बाहर मौजूद मरीजों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की थी।

राहुल गांधी ने कहा कि एम्स में पीने के पानी और शौचालय आदि की भी व्यवस्था नहीं है। आसपास कूड़े-कचरे का भी ढेर लगा रहता है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली-एम्स आना यह भी दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं, वहां उन्हें सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। नड्डा को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा, मैं आपका ध्यान एम्स, दिल्ली के बाहर की चिंताजनक स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए पत्र लिख रहा हूं। अपनी हाल की यात्रा के दौरान मुझे सैकड़ों मरीजों और उनके परिवार के सदस्यों को कड़ाके की ठंड में फुटपाथ और मेट्रो स्टेशन पर केवल पतले कंबलों के साथ, पीने के पानी या स्वच्छता सुविधाओं के बिना, देखकर दुख हुआ। मुझे यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी को भी ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब वह पहले से ही गंभीर चिकित्सा स्थितियों से जूझ रहा हो। राहुल गांधी ने कहा कि एम्स-दिल्ली के बाहर मौजूद मरीजों और उनके परिवारों की स्थिति से पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवा अब भी करोड़ों भारतीयों की पहुंच से बाहर है।

राहुल गांधी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट का उपयोग अपने समग्र दृष्टिकोण की समीक्षा करने के लिए करेगी और जन स्वास्थ्य सेवा में अपने निवेश को काफी हद तक बढ़ाएगी।

कोई और शिवसेना का नेतृत्व कर सकता है : विजय वडेट्टीवार

नागपुर, 20 जनवरी (भाषा)।

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को दावा किया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटाया जा सकता है और शिवसेना में नया 'उदय' देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह टिप्पणी राज्य मंत्री उदय सामंत के संदर्भ में की है।

महाराष्ट्र कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर शिंदे के नाखुश होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। सूत्रों ने बताया कि शिंदे निजी यात्रा पर सतारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए हैं। कांग्रेस नेता ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एकनाथ शिंदे की स्थिति बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि शिंदे को किनारे किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिंदे की राजनीतिक उपयोगिता खत्म हो गई है।

शिंदे को उद्धव (ठाकरे) को बाहर करके लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर परोक्ष हमला करते हुए वडेट्टीवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र में ऐसी राजनीतिक स्थिति बन सकती है जिसमें शिवसेना का तीसरा 'उदय' होने की संभावना है। उन्होंने दावा किया कि एक उदय (राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत) दोनों नावों पर सवार हैं और उन्होंने (दोनों पक्षों के साथ) बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं। फडणवीस सरकार ने शनिवार को महाराष्ट्र के 36 जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा की। हालांकि, एक दिन बाद नासिक और रायगढ़ के लिए इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई।

राकांपा की अदिति तटकरे को रायगढ़ का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया, जिससे शिवसेना नेता भरत गोगावाले नाराज हो गए। भाजपा नेता गिरीश महाजन को नासिक जिले की जिम्मेदारी दी गई। असंतोष की खबरों के बीच, भाजपा से सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन शिंदे से मिलने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए दरेगांव के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस इस समय विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए दावोस में हैं। इस बीच, वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति पर फैसला अगले आठ दिनों में लिया जाएगा।

दलित किशोर की पिटाई व पांव पर गिराने का आरोप

मदुरै में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जनवरी।

तमिलनाडु के मदुरै जिले में उसिलामपट्टी पुलिस ने अनुसूचित जाति (एससी) के एक लड़के की पिटाई करने और पैरों पर गिरने के लिए मजबूर करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 16 जनवरी की इस घटना के संबंध में 19-वर्षीय लड़के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

पुलिस ने बताया कि छह व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(बी), 351(2) के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के तहत मामले दर्ज किए गए। अपनी शिकायत में उसिलामपट्टी में संकमपट्टी के रहने वाले किशोर ने कहा कि कुछ महीने पहले पुरत्तासी त्योहार के दौरान जब वह गांव में घुटनों तक धोती मोड़कर घूम रहा था, तो छह लोगों ने उसे बुरा-भला कहा।

इस पर उनके बीच बहस हुई और फिर झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लड़का कुछ दिनों तक गांव से बाहर रहा और पोंगल त्योहार की छुट्टियों पर घर लौटा। गांव लौटने पर उसे 'जबरन' एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी की और उसके साथ मारपीट की।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसे छह लोगों के पैरों पर गिरने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उसे कड़ी चेतावनी देकर जाने दिया गया। पुलिस ने एक बयान में दावा किया कि किशोर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि संदिग्धों ने लड़के से बदसलूकी की थी।

वक्फ समिति ने परामर्श प्रक्रिया पूरी की

विधेयक के खंडों पर विचार करने के लिए बैठक

नई दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा)।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर गठित संसदीय समिति 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर खंड-दर-खंड विचार करेगी। यह रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया है। समिति की रपट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ने देश भर के हितधारकों के साथ अपनी परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले समिति के सदस्यों की राय लेने की दिशा की तरफ बढ़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति को आगामी बजट सत्र के आखिरी दिन तक कार्यकाल विस्तार दिया था। बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक चलेगा। हालांकि बीच में कुछ दिनों का अवकाश होगा। सदस्य अब मसौदा कानून में अपने संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं और उन पर मतदान किया जाएगा। विपक्षी सांसद, जो विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं, संशोधन का प्रस्ताव दे सकते हैं। हालांकि, इन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि समिति में भाजपा और उसके सहयोगी दल बहुमत में हैं।

यासीन मलिक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 20 जनवरी।

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यासीन को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जम्मू की विशेष अदालत में पेश किया जाए। इसके लिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा गया कि वे यासीन के खिलाफ दो मामलों की सुनवाई कर रही जम्मू की विशेष अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग की उचित सुविधा मुहैया कराएं।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने रुबिया अपहरण मामले और वायु सेना अधिकारी की हत्या मामले में चल रही सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
ADITYA BIRLA CAPITAL
पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266
शाखा कार्यालय- नं. 16/106 प्रथम तल, जे.एस. टावर द मॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208301

परिशिष्ट IV
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 (1) देखें] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्जदारों राहुल कुमार श्रीवास्तव, शीला देवी, रुद्र ट्रेडर्स को एक मांग सूचना दिनांक 22.07.2022 को जारी कर, सूचना में उल्लिखित राशि रु. 13,28,879/- (रुपये तेरह लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ उन्यासी मात्र) को उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की थी।

कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कर्जदारों द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, 16 जनवरी 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन रु. 13,28,879 (रुपये तेरह लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ उन्यासी मात्र) की राशि, ब्याज सहित आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा। कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

''आराजी संख्या 82 का समस्त भाग, रकबा 100 वर्ग गज, रकबा 50 वर्ग गज के क्षेत्रफल का भाग अर्थात 41.805 वर्ग मीटर, मौजा पुरवा नानकारी परगना में स्थित, तहसील एवं जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

तिथि: 16/01/2025 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान: कानपुर आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

kotak
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुम्बई-400051 शाखा कार्यालय : 7वीं मंजिल, प्लाट सं. 7, सेक्टर 125, निकट डेल कैम्पस, नोएडा, उ.प्र.-201313

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर यहाँ नीचे अधिक स्पष्ट वर्णित बैंक/वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा प्राप्त की हैं तथा उसके भुगतान में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा बाद में बैंक ने कथित ऋण खाते समस्त अधिकारों, स्वामित्व एवं हित, लाभों, बकाया प्राप्तियों सहित यहाँ नीचे उल्लिखित अलग से एसाइनमेंट प्रलेख के माध्यम से **कोटक महिन्द्रा बैंक (बैंक)** के पक्ष में आवंटित कर दिये, बैंक ने कथित एसाइन्मेन्ट के अनुसार तथा बकाये राशि की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (अधिनियम), 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसके विषय वस्तु को प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार तथा आपके लिए वैकल्पिक सेवा के द्वारा यहां नीचे प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, प्रतिभूतियों, ऋणदाता, बकाया राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:

कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण की राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	1. ऋणदाता का नाम, 2 एसाइनमेंट की तिथि 3. मांग सूचना की तिथि, 4. बकाया राशि रु. में
श्री सिराज अली और श्रीमती शाहनाज बेगम पत्नी श्री शाहिद अली दोनों: प्लॉट नंबर 101 लखनऊ रोड, जहानबाद चौकी स्वराज नगर कॉलोनी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229001 और मैसर्स कपड़ा मार्ट अपने मालिक श्री सिराज अली के माध्यम से पता: बेलीगंज सूर्य कुटी मार्केट, रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229001 **ऋण खाता संख्या: 4B8BLSFN562789** **ऋण स्वीकृत राशि:** रु. 9,34,239/- (नौ लाख चौंतीस हजार दो सौ उनतालीस रुपये मात्र)	स्वराज नगर कॉलोनी, शहर और जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश- 229001 में स्थित प्लॉट संख्या एहर 101, माप क्षेत्र 40.00 वर्ग मीटर का पूरा हिस्सा। उक्त भूमि निम्नलिखित से सटी हुई और घिरी हुई है:- **पूर्व में:** प्लॉट संख्या एहर 112, **पश्चिम में:** सड़क, **उत्तर में:** प्लॉट संख्या एहर 102 **दक्षिण में:** सड़क **बंधककर्ता का नाम:** श्रीमती शहनाज बेगम	1. **बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)** 2. 29.08.2023 3. 06.12.2024 4. रु.11,15,829.75/- (रुपये ग्यारह लाख पंद्रह हजार आठ सौ उनतीस और पचहत्तर पैसे मात्र) 06.12.2024 तक देय और भुगतान योग्य, 07.12.2024 से लागू ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक
श्री कुँवर राज पुत्र स्वर्गीय पुत्ती लाल, **पता:** वार्ड नंबर 13, अंबेडकर मूर्ति के पास, रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229001 और मेसर्स वारसी गारमेंट्स अपने मालिक श्री कुँवर राज के माध्यम से: मंशा देवी मंदिर स्टेशन रोड के पास, रायबरेली, उत्तर प्रदेश 229001 एवं 3. श्रीमती सोना देवली पत्नी स्वर्गीय पुत्ती लाल, पता: 11, अल्ताफगंज, जेर माजिद जयास, तिलोई रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229001 **ऋण खाता संख्या: 4B8BLSEH583714** **स्वीकृत ऋण राशि:** रु.7,22,520/- (रुपये सात लाख बाईस हजार पाँच सौ बीस मात्र)	गाटा संख्या 440, अ, 440 ब माप 126.5 वर्ग मीटर का पूरा हिस्सा, ग्राम छजलापुर, अंबेडकर नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। उक्त भूमि निम्नलिखित से सटी हुई है और इसकी सीमा इस प्रकार है:- **पूर्व में:** प्रस्तावित रास्ता, **पश्चिम में:** विक्रेता की भूमि, **उत्तर में:** विक्रेता की भूमि, **दक्षिण में:** राम लखन का प्लॉट, **बंधककर्ता का नाम:** श्रीमती सोना देवी पत्नी स्वर्गीय पुत्ती लाल	1. **बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)** 2. 29.08.2023 3. 09.12.2024 4. रु.8,15,973.16/- (रुपये आठ लाख पंद्रह हजार नौ सौ तिहत्तर और सोलह पैसे मात्र) 09.12.2024 तक देय और भुगतान योग्य, 10.1 2.2024 से लागू ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक।
श्री संतोष कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री जगत राम त्रिपाठी और श्रीमती चांदनी त्रिपाठी पत्नी श्री संतोष त्रिपाठी **पते:** डिगिहा, ओरिएंटल बैंक के पास, डिगिहा, बहराइच, उत्तर प्रदेश-271801 और दोनों का पता: 952ए/947 बी-1, बक्शीपुरा नई बस्ती चांदमारी दरगाह सरीफ बहराईच, उत्तर प्रदेश-271801 एवं मेसर्स नील ट्रेडिंग कंपनी इसके मालिक श्री संतोष कुमार त्रिपाठी के माध्यम से: घसियारीपुरा एचडीएफसी बैंक के पास, बहराईच, उत्तर प्रदेश-271801 **ऋण खाता संख्या: P84PPBL2922172** **स्वीकृत ऋण राशि:** रु. 14,29,519 (रुपये चौदह लाख उनतीस हजार पांच सौ उन्नीस मात्र)	मकान संख्या 952अ 7947 B-1, (पुराना-नया) का पूरा भाग, जिसका विशिष्ट कोड संख्या 1719147 -1033-2-001-12 है, जिसका पूर्वी भाग 18 फीट, पश्चिमी भाग 36 फीट, उत्तरी भाग 45 फीट और दक्षिणी भाग 35 फीट है, अर्थात कुल क्षेत्रफल 1080 वर्ग फीट 100.375 वर्ग फीट, गाटा संख्या 1033 मिन, ग्राम बक्शीपुरा परगना और जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश 271801 में स्थित है। सीमा इस प्रकार है- **पूर्व-** कृष्ण कुमार जायसवाल का घर, **पश्चिम-** राजेंद्र श्रीवास्तव का घर, **उत्तर-** कमलापति त्रिपाठी और अन्य का घर **दक्षिण:** 12.00 फीट चौड़ा इंटरलॉकिंग पथ **बंधककर्ता का नाम:** श्री संतोष कुमार त्रिपाठी	1. **बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)** 2. 29.08.2023 3. 20.11.2024 4. रु.15,34,508.83/- (रुपये पंद्रह लाख चौंतीस हजार पांच सौ आठ और तिरासी पैसे मात्र) 20.11.2024 तक देय और भुगतान योग्य, 21.11.2024 से लागू ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक।
मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडर्स अपने मालिक श्री शैलेन्द्र कुमार के माध्यम से: समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास, अन्नपूर्णा विहार कॉलोनी बड़ेल, बारा बन की, उत्तर प्रदेश -225001 और श्री राम पाल सिंह पुत्र श्री गया प्रसाद और श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम पाल सिंह दोनों का **पता:-** सोहावां बाराबंकी, हैदरगढ़, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225120 और दोनों भी पते पर:- कटहली बाग, नुनेश्वर विहार कॉलोनी के पास, बाराबंकी, नवाबगंज, उत्तर प्रदेश- 225001. **ऋण खाता संख्या: P4B4PBL2191663** **स्वीकृत ऋण राशि:** रु.7,22,520/- (सात लाख बाईस हजार पांच सौ बीस रुपये मात्र)	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा प्लॉट नंबर 29, खसरा नंबर 381 मिन, ग्राम बड़ेल बहार सीमा, परगना नबाबगंज, तहसील नबाबगान और जिला बाराबंकी माप क्षेत्र 1800 वर्ग मीटर। सीमा इस प्रकार है: **पूर्व में** ठाकुर प्रसाद दीक्षित का घर, **पश्चिम:** कांति देवी का प्लॉट, **उत्तर:** चेदाना का प्लॉट, **दक्षिण:** खड़ंजा, 9 फीट चौड़ा, **बंधककर्ता का नाम:** श्री रामपाल सिंह	1. **बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)** 2. 29.08.2023 3. 28.10.2024 4. रु.7,34,025.60/- (रुपये सात लाख चौंतीस हजार पच्चीस और साठ पैसे मात्र) 28.10.2024 तक देय और भुगतान योग्य, 29.10.2024 से लागू ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक।
मैसर्स निर्मल प्रिंटिंग प्रेस एंड शू सेंटर और श्री संत ध्रुव प्रसाद पुत्र श्री राम आश्रय प्रसाद सह-कर्जदार रविकांत कुमार (मृतक के बाद से) और श्री शत्रुघ्न प्रसाद पुत्र श्री राम आश्रय प्रसाद और कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में, सभी निवासी: चक संख्या 285, गाटा संख्या 850, वाका मौजा फरेंदा, बुजुर्ग टप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील फरेंदा और जिला महराजगंज, यू.पी.- 273155 और सभी साथ ही:- फरेंदा बुजुर्ग लोक विद्या पीठ नगर, सोनौली रोड, आनंद नगर महराजगंज, महराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273155 **ऋण खाता संख्या: P34PPFB3571149** **स्वीकृत ऋण राशि:** रु. 14,46,039/- (चौदह लाख छियालीस हजार उनतालीस रुपये मात्र)	चक संख्या 285, गाटा संख्या 850, वाका मौजा फरेंदा बुजुर्ग तप्पा लेहड़ा परगना हवेली तहसील फरेंदा और जिला महराजगंज, उत्तर प्रदेश -273155 का पूरा हिस्सा, **सीमाएं : पूर्व:** आराजी मुकीर, **पश्चिम:** पीडब्ल्यूडी रोड (गोरखपुर से सोनाली मार्ग), **उत्तर:** मुकीर की भूमि, **दक्षिण:** लक्ष्मी शंकर यादव की भूमि बंधककर्ता का नाम: श्री संत ध्रुव प्रसाद और श्री शत्रुघ्न प्रसाद	1. **बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)** 2. 29.08.2023 3. 09.12.2024 4. रु. 14,85,169.42/- (रुपये चौदह लाख पिचासी हजार एक सौ उनहत्तर और बयालीस पैसे मात्र) 09.12.2024 तक देय और भुगतान योग्य, 10.12.2024 से लागू ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक।
श्री विनय कुमार उर्फ विनय पांडे पुत्र श्री रमाशंकर पांडे पता: शेरपुर बाजार, थाना जहानागंज शेखपुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-2761128 और मेसर्स पांडे स्वीट और अंशिका स्वीट, इसके मालिक श्री विनय कुमार उर्फ विनय पांडे और श्रीमती सावित्री दोनों का **पता:** अराजी नं.463/93, मोजा शेरपुर खुर्द टप्पा, धरवारा परगना, चिरैया कोट तहसील, सदर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276128. **ऋण खाता संख्या: P41PPBL2994629** **स्वीकृत ऋण राशि:** रु. 10,36,599/- (रुपये दस लाख छत्तीस हजार पांच सौ निन्यानबे मात्र)	आराजी संख्या 463/93 का समस्त भाग, मोजा शेरपुर खुर्द टप्पा, धरवारा परगना, चिरैया कोट तहसील, सदर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276128. **उत्तर में:** राधेश्याम और अन्य की भूमि, **दक्षिण में:** संजीव कुमार की भूमि, **पूर्व में:** सड़क 5 मीटर, **पश्चिम में:** रिपुसूदन और अन्य की भूमि **बंधककर्ता का नाम:** श्री विनय कुमार उर्फ विनय पांडे	1. **बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल)** 2. 29.08.2023 3. 06.12.2024 4. रु. 12,10,423.54/- (रुपये बारह लाख दस हजार चार सौ तेईस और चौवन पैसे मात्र) 06.12.2024 तक देय और भुगतान योग्य, 07.12.2024 से लागू ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक।

अतएव, आप ऋणधारक/कों तथा सह-ऋणधारक/कों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित प्रयोज्य ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्त्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आपका ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा आप उपरोक्त प्रावधान में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार हमारी सहमति के बिना आप बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के लिए अधिकार से वंचित हैं।

स्थान : उत्तर प्रदेश तिथि: 21.05.2025, अधिकृत प्राधिकारी : कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों को राशि वापस करने के लिए माँग सूचना जारी की गई थी, एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि कर्जदार बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय **''आईआईएफएल एचएफएल''** की बकाया राशि को सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित चुका देता है, तो प्रतिभूत परिसंपत्तियों को **''आईआईएफएल एचएफएल''** द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और प्रतिभूत परिसंप